न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 129/2018 (2018/00326) दर्ज दिनांक 10.09.2018

वाद— अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. देऊ पुत्री किशना गाडरी निवासी तिरोली हाल निवास सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादिया

बनाम

1. किशना आत्मज खुमाण गाडरी निवासी तिरोली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कालुराम आत्मज वेनीराम उर्फ बेणा गाडरी निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति— अधिवक्ता वादिया :—श्री एस0के0जैन
प्रतिवादी :— 1 लगायत 2 अनुपस्थित
पेरोकार सरकार

<u>वाद पत्र बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निशेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,53, 188 आर.टी.ए.</u>

दिनांक 29.01.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर उनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:—

पीथा आत्मज गोमा गाडरी सा0 तिरोली

पन्ना — खुमाण

वे[illegible] — किशना प्रतिवादी स[illegible]

कालुराम प्रतिवादी सं0 2 — देऊ वादिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः— 129/2018 (2018/00326
वाद— अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

यह कि प्रतिवादी संख्या एक की पैतृक खातेदारी अधिकार की निम्न कृषि आराजियात राजस्व ग्राम तिरोली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के वर्तमान खाता संख्या 26 पर अंकित आराजी संख्या 488 रकबा 0.34 हे0 , 504 रकबा 0.17 हे0, 573 रकबा 0.12 हे0, 622 रकबा 0.09 हे0 कुल किता 4 योग रकबा 0.72 हे0 इसी प्रकार खाता संख्या 210 पर अंकित आराजी संख्या 489 रकबा 0.03 हे0, 577 रकबा 0.07 हे0 गै0मु0चाह, आराजी संख्या 619 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 3 योग रकबा 0.15 हे0 थी। यह कि प्रतिवादी संख्या एक के नाम खाता संख्या 26 में अंकित उक्त आराजियात तन्हा अभिलिखित थी तथा खाता संख्या 210 पर अंकित उक्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या एक का 1/4 हिस्सा निहित था, जिसको प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या दो को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 13.06.2018 के माध्यम से विक्रय कर दी जिससे वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 26 व 210 में अंकित उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या दो के नाम वर्तमान में दर्ज अभिलेख है।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या एक की पैतृक खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात राजस्व ग्राम भरक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के वर्तमान खाता संख्या 57 पर अंकित आराजी संख्या 1961 रकबा 0.38 हे0, आराजी संख्या 1963 रकबा 0.29 हे0 कुल किता 2 योग रकबा 0.67 हे0 प्रतिवादी संख्या एक के नाम तन्हा खातेदारी में अभिलिखित थी, जिसको भी प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या दो को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 13.06.2018 के माध्यम से विक्रय कर दी। जिससे वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या दो के नाम दर्ज अभिलेख है।

यह कि उक्तानुसार वर्णित आराजियात मय गै0मु0 आराजी चाह पैतृक जायदाद होकर प्रतिवादी संख्या एक को विरासत से प्राप्त हुई है। जिससे वादिया प्रतिवादी संख्या एक की पुत्री होने से उक्त वर्णित आराजियात मय गै0मु0 आराजी चाह में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक का समान हक व हिस्सा कानुनन निहित था और वर्तमान मे भी है लेकिन प्रतिवादी संख्या एक ने उक्त वर्णित आराजियात मय गै0मु0 आराजी चाह अपने नाम दर्ज अभिलेख होने से वादिया के निहित 1/2 हक व हिस्से को भी बिना वादिया की सहमति के विक्रय कर दिया। जिसका प्रतिवादी संख्या एक को कानुनन अधिकार प्राप्त नही था फिर भी प्रतिवादी संख्या एक ने उक्त वर्णित आराजियात मय गै0मु0 आराजी चाह को लेकर जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 13.06.2018 प्रतिवादी संख्या दो के पक्ष में निष्पादित करवा दिये, वह वादिया के निहित 1/2 हक व हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य होकर अप्रभावी है। जिससे वादिया को उक्त दस्तावेज सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नही है। अतः वादिया उक्त [illegible] आराजियात मय गै0मु0 आराजी चाह मे निहित अपने 1/2 ह[illegible] अधिकार की घोषणा कराने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

2.

Scanned with CamScanner

यह कि वादिया को उक्त वर्णित आराजियात में गै0मु0 आराजी चाह को छोड़कर जो राजस्व ग्राम तिरोली व भरक की सीमा में स्थित है में वादिया के निहित 1/2 हक व हिस्से की खातेदारी की घोषणा उपरांत वादिया के निहित 1/2 हक व हिस्से को बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजन प्रतिवादी संख्या तीन के माध्यम से करवा मौके पर स्वतंत्र आधिपत्य सिपुर्द कराया जावे। तद् अनुरूप विभाजन की अज्ञप्ति बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें।

यह कि वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 14.06.2018 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त भूमियों का नामान्तरण वादिया के पक्ष में निर्णित करने से मना कर दिया तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है।
अतः सादर प्रार्थना हैं —

कि वादिया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री फरमायी जावे कि राजस्व ग्राम तिरोली के वर्तमान खाता संख्या 26 में अंकित आराजी संख्या 488, 504, 573, 622 कुल किता 4 योग रकबा 0.72 हे0 भूमि के 1/2 हिस्से की वादिया खातेदार काश्तकार है तथा खाता संख्या 210 में अंकित आराजी संख्या 489, 577, 619 कुल किता 3 योग रकबा 0.15 हे0 भूमि के 1/8 हिस्से की वादिया खातेदार काश्तकार है तद्नुसार वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज अभिलेख किया जावें।

कि वादिया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री फरमायी जावे कि राजस्व ग्राम भरक तहसील सहाड़ा के वर्तमान खाता संख्या 57 में अंकित आराजी संख्या 1961, 1963 कुल किता 2 योग रकबा 0.67 हे0 भूमि के 1/2 हिस्से की वादिया खातेदार काश्तकार है तद्नुसार वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज अभिलेख किया जावें।

कि ग्राम तिरोली के वर्तमान खाता संख्या 26 में अंकित आराजियात कुल किता 4 योग रकबा 0.72 हे0 व खाता संख्या 210 में अंकित आराजी संख्या 489, 619 का बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजान करवा खाता संख्या 26 में अंकित आराजियात के 1/2 हिस्से व खाता संख्या 210 में अंकित वाद वर्णित आराजियात में आराजी चाह संख्या 577 को छोड़ कर शेष आराजियात के 1/8 हिस्से के स्वतंत्र राजस्व खाते रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने तथा ग्राम भरक के खाता संख्या 57 में अंकित वाद वर्णित आराजियात कुल किता 2 योग रकबा 0.67 हे0 में निहित 1/2 हिस्से के स्वतंत्र राजस्व [illegible] विभाजन की अज्ञप्ति बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

3.

Scanned with CamScanner

वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निशेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी फरमायी जावे कि राजस्व ग्राम तिरोली के खाता संख्या 26 व 210 में एवं ग्राम भरक के खाता संख्या 57 में अंकित वाद वर्णित आराजियात को प्रतिवादी संख्या दो किसी अन्य को रहन, बय बक्षीस या अन्य तरीके से अन्तरित नहीं करें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 10.09.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है अतः जवाब देही बंद की जाती है।

वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् वादपत्र के समर्थन में अपने स्वयं के शपथ पत्र पर बयान गवाह पीड्ब्लयू –1 प्रस्तुत कर शपथ ली कि मैने इस प्रकरण में नकल जमाबंदी महकमा बन्दोबरत संवत् 1991 ग्राम तिरोली की नकल पेश की जो प्रदर्श –1 है, नकल जमाबंदी महकमा बन्दोबस्त संवत् 1991 ग्राम भरक की नकल पेश की जो प्रदर्श –2 है, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 व 4 है। नकल विकय पत्र तादादी 1,20,000 व तादादी 20,00000 कमशः प्रदर्श 5 व 6 है। नकबल जमाबंदी ग्राम तिरोली संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 26 व 210 कमशः प्रदर्श 7 व 8 है। नकल नक्शा ट्रेस ग्राम तिरोली कमशः 9 व 10 है। जमाबंदी ग्राम भरक संवत् 2073 से 2076 खाता संख्या 57 प्रदर्श 11 है। नकल नक्शा ट्रेस भरक प्रदर्श –12 है।

वादिया अधिवक्ता अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादिया के पक्ष में स्वीकार किये जाने हेतु निवदेन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों अनुसार वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादिया के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः— 129/2018 (2018/00326)
वाद— अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

—: आदेश :—

वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादिया को राजस्व ग्राम तिरोली के वर्तमान खाता संख्या 26 में अंकित आराजी संख्या 488, 504, 573, 622 कुल किता 4 योग रकबा 0.72 हे0 भूमि के 1/2 हिस्से की तथा खाता संख्या 210 में अंकित आराजी संख्या 489, 577, 619 कुल किता 3 योग रकबा 0.15 हे0 भूमि के 1/8 हिस्से की एवं इसी प्रकार राजस्व ग्राम भरक तहसील सहाड़ा के वर्तमान खाता संख्या 57 में अंकित आराजी संख्या 1961, 1963 कुल किता 2 योग रकबा 0.67 हे0 भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज अभिलेख किया जावें।

ग्राम तिरोली के वर्तमान खाता संख्या 26 में अंकित आराजियात कुल किता 4 योग रकबा 0.72 हे0 व खाता संख्या 210 में अंकित आराजी संख्या 489, 619 का बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजान किया जावे खाता संख्या 26 में अंकित आराजियात के 1/2 हिस्से व खाता संख्या 210 में अंकित वाद वर्णित आराजियात में आराजी चाह संख्या 577 को छोड़ कर शेष आराजियात के 1/8 हिस्से के स्वतंत्र राजस्व खाते रेवेन्यु रेकार्ड में खोला जावे तथा ग्राम भरक के खाता संख्या 57 में अंकित वाद वर्णित आराजियात कुल किता 2 योग रकबा 0.67 हे0 में निहित 1/2 हिस्से के स्वतंत्र राजस्व खाता विभाजन की अज्ञप्ति बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती है।

साथ ही वादिया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निशेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम तिरोली के खाता संख्या 26 व 210 में एवं ग्राम भरक के खाता संख्या 57 में अंकित वाद वर्णित आराजियात को प्रतिवादी संख्या दो किसी अन्य को रहन, बय बक्षीस या अन्य तरीके से अन्तरित नहीं करें। तदनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 129/2018 (2018/00326) दर्ज दिनांक 10.09.2018

वाद– अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. देऊ पुत्री किशना गाडरी निवासी तिरोली हाल निवास सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादिया

बनाम

1. किशना आत्मज खुमाण गाडरी निवासी तिरोली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कालुराम आत्मज वेनीराम उर्फ बेणा गाडरी निवासी सरगांव तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादिया :–श्री एस0के0जैन
प्रतिवादी :– 1 लगायत 2 अनुपस्थित
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 29.01.2021

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0जैन एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती हैं कि ----×------ और इस वाद के खर्च लेखे ----×------ रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ----×------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ----×------ द्वारा ----×------ को दी जाए।

वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादिया को राजस्व ग्राम तिरोली के वर्तमान खाता संख्या 26 में अंकित आराजी संख्या 488, 504, 573, 622 कुल किता 4 योग रकबा 0.72 हे0 भूमि के 1/2 हिस्से की तथा खाता संख्या 210 में अंकित आराजी संख्या 489, 577, 619 कुल किता 3 योग रकबा 0.15 हे0 [illegible] इसी प्रकार राजस्व ग्राम भरक तहसील सहाडा के वर्तमान खाता सं[illegible] अंकित आराजी संख्या 1961, 1963 कुल किता 2 योग [illegible] हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जात[illegible] का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज अभिलेख किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

1.

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः– 129/2018 (2018/00326
वाद– अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

ग्राम तिरोली के वर्तमान खाता संख्या 26 में अंकित आराजियात कुल किता 4 योग रकबा 0.72 हे0 व खाता संख्या 210 में अंकित आराजी संख्या 489, 619 का बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजान किया जावे खाता संख्या 26 में अंकित आराजियात के 1/2 हिस्से व खाता संख्या 210 में अंकित वाद वर्णित आराजियात में आराजी चाह संख्या 577 को छोड़ कर शेष आराजियात के 1/8 हिस्से के स्वतंत्र राजस्व खाते रेवेन्यु रेकार्ड में खोला जावे तथा ग्राम भरक के खाता संख्या 57 में अंकित वाद वर्णित आराजियात कुल किता 2 योग रकबा 0.67 हे0 में निहित 1/2 हिस्से के स्वतंत्र राजस्व खाता विभाजन की अज्ञप्ति बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती है।

साथ ही वादिया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निशेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम तिरोली के खाता संख्या 26 व 210 में एवं ग्राम भरक के खाता संख्या 57 में अंकित वाद वर्णित आराजियात को प्रतिवादी संख्या दो किसी अन्य को रहन, बय बक्षीस या अन्य तरीके से अन्तरित नहीं करें। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिकी आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:07:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner